भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1312

दिनांक 09.02.2022 को उत्तर देने के लिए

विकास अनुदान निधि

1312. **श्री आर.के. सिंह पटेल:**

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के आकांक्षी जिलों, विशेषरूप से उत्तर प्रदेश के चित्रकुट, फतेहपुर और सोनभद्र जिलों को जारी की गई विकास अनुदान निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आकांक्षी जिलों के विकास हेतु सहायता प्रदान करने के लिए कोई निधि सरकार के पास लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री (कारपोरेट कार्य मंत्रालय)

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) चूंकि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की मुख्य कार्यनीति मौजूदा योजनाओं, जिनके पास स्वयं के वित्तपोषण की व्यवस्था है, का अभिसरण करने पर आधारित है अतः कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त निधि, अथवा कोई भी निधि जो विकास अनुदान निधि के रूप में जानी जाती है, की परिकल्पना नहीं की गई है। प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ावा देने के लिए और महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए निष्पादन आधार पर अतिरिक्त आवंटन की परिकल्पना की गई है। यह प्रदर्शन अनुदान के रूप में दिया जाता है और इसे बेहतर प्रदर्शन के लिए जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने की दृष्टि से संबंधित जिले को एक प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। प्रत्येक माह, जिलों का मूल्यांकन उनकी मासिक प्रगति के आधार पर किया जाता है और पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक में समग्र रूप से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों की पहचान की जाती है। समग्र रूप से पहले और दूसरे स्थान पर आने वाले जिलों को क्रमशः 10 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये से सम्मानित किया जाता है। पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक में पहले स्थान पर आने वाले प्रत्येक जिले को 3 करोड़ रुपये से सम्मानित किया जाता है। उपर्युक्त उल्लिखित प्रदर्शन अनुदान के आधार पर, ये जिले उनके द्वारा समझी गई महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशिष्ट परियोजनाएं शुरू करते हैं। इस व्यवस्था के तहत, चित्रकूट जिले ने लगभग 5.99 करोड़ रुपए और फतेहपुर जिले ने लगभग 11.15 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। जहां तक सोनभद्र जिले का संबंध है, इसने विभिन्न अवसरों पर अच्छा प्रदर्शन किया है परंतु इसे कोई अतिरिक्त निधि आबंटित नहीं की गई है क्योंकि परियोजना दिशानिर्देश के नियम के अनुसार प्रति वर्ष 30 करोड़ रुपए से अधिक जिला खनिज निधि (डीएमएफ) वाले जिले उपर्युक्त अतिरिक्त अनुदान प्राप्ति के हकदार नहीं हैं।

(ख) एवं (ग): परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार, एक बार जब संबंधित जिले प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त आबंटन के लिए पात्र हो जाते हैं, तो उन्हें इस प्रकार के अनुदान से वित्तपोषित होने वाली परियोजनाओं की सूची बनाकर एक कार्य योजना तैयार करनी होती है। इन कार्य योजनाओं को अधिकार प्राप्त समिति, जिनकी बैठकें प्राय: होती रहती है, द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अब तक, जिलों द्वारा अंतिम रूप दी गई कार्य योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है और कोई मामला लंबित नहीं है।

*****